

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

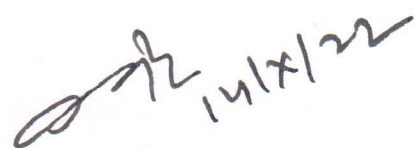
क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला बाड़मेर के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तरीय समिति के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

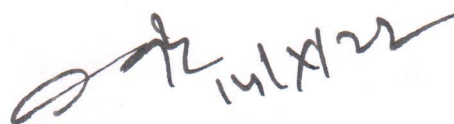
1.	श्री सुखराम विश्नोई	राज्य मंत्री	अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री)
2.	श्री फतेहखान पुत्र श्री हाजी अब्दुला खां, जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर, ग्रा. पो. सेलाउ, गराड़िया, रामसर		उपाध्यक्ष
3.	श्री महेन्द्र चौधरी	जिला प्रमुख	सदस्य
4.	श्रीमती जेठी देवी गोदारा, बाड़मेर ग्रामीण	प्रधान, पं.स. बाड़मेर ग्रामीण	सदस्य
5.	श्रीमती शमा बानो, धनाउ	प्रधान, पं.स. धनाउ	सदस्य
6.	श्री सिमरथाराम चौधरी/श्री ईन्दाराम चौधरी, ग्रा.पो. माधासर बायतू, बाड़मेर	प्रधान, पं.स. बायतू	सदस्य
7.	श्री बच्चू खां/श्री बहादूरखां, ग्रा.पो. सलीफे की बावड़ी, गडरारोड़, बाड़मेर		सदस्य
8.	श्री ओमाराम मेघवाल/श्री गुमनाराम, ग्रा.पो. रमणिया, बाड़मेर (अनु.जाति)		सदस्य
9.	श्री खुंमाणाराम भील/श्री धन्नाराम, अजजा, हापों की ढाणी, चूली, बाड़मेर		सदस्य
10.	श्रीमती रसीदा बानो/श्री मीर मोहम्मद, ग्रा.पो. पाटौदी, बाड़मेर		सदस्य
11.	श्री सुरतानसिंह/श्री भूरसिंह, पार्षद वार्ड सं. 1, बाड़मेर		सदस्य
12.	श्री बगदा राम/श्री गुणेशा राम, मेघवालों का धोरा, बालोतरा, बाड़मेर		सदस्य
13.	श्री ओमप्रकाश भाटिया/श्री दूदाराम, साजीयाली रूपजी राजाबेरी, बाड़मेर		सदस्य


14/10/22

14.	श्री बीरमसिंह थोब/श्री नरपतसिंह, थोब, बालोतरा	सदस्य
15.	श्री मुकनसिंह/श्री लिखमाराम, ग्रा.पो. पादरु, बाड़मेर	सदस्य
16.	श्री तिलोक चौधरी/श्री चुतराराम, ग्रा.पो. खारावाला, चौहटन	सदस्य
17.	श्री लाखदान चारण/श्री दुर्गदान, बल्लेवार, शिव	सदस्य
18.	श्री दिनेश कुलदीप/श्री पोकरराम, ग्रा.पो. धोरिमन्ना, बाड़मेर	सदस्य
19.	श्री लक्ष्मण गोदारा, पनाऊडा, बायतू	सदस्य
20.	श्री गोपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक, समदडी	सदस्य
21.	श्री निर्मलदास महाराज	सदस्य
22.	श्री मूलाराम मेघवाल, पूर्व प्रधान	सदस्य
23.	श्री पंकज प्रताप सिंह, सिवाणा	सदस्य
24.	श्री हरीशचन्द्र माली/श्री कुष्टाराम, ग्रा.पो. शोभाला जेतमाल, धोरीमन्ना	सदस्य
25.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं प्रशासक	सदस्य
26.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
27.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
28.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद्	सदस्य
29.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
30.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:-

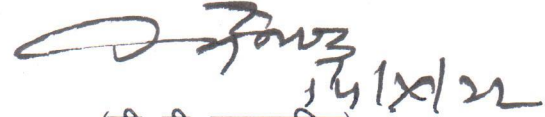
1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।



4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

आज्ञा से,



(सी. पी. मण्डावरिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
12. जिला कलेक्टर, बाड़मेर को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
13. उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम जिला प्रथम स्तरीय समिति, जिला बाड़मेर।
14. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
15. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
16. विशेषाधिकारी, माननीय उपाध्यक्ष, बीसूका।
17. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग को अ. शा. टीप क्रमांक प. 7(20)प्र.सु. /अनु0-3/82 पार्ट, दिनांक 30.09.2022 के संदर्भ में।
18. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन, सचिव

नोट:- समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/ विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।